

तत्काल

निर्वाचन आवश्यक

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रीवा (म.प्र.)

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज दिनांक 10 मार्च 2019 को राज्य में होने वाले लोकसभा आम निर्वाचन 2019 के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 14 के अन्तर्गत निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	निर्वाचन कार्यक्रम	दिनांक
1	अधिसूचना का प्रकाशन	10 अप्रैल 2019 (बुधवार)
2	नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	18 अप्रैल 2019 (गुरुवार)
3	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा	20 अप्रैल 2019 (शनिवार)
4	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी	22 अप्रैल 2019 (सोमवार)
5	मतदान की तिथि	06 मई 2019 (सोमवार)
6	मतगणना की तिथि	23 मई 2019 (गुरुवार)
7	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति की तिथि	27 मई 2019 (सोमवार)

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से लोकसभा निर्वाचन 2019 सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता (Model Code of Conduct) आज दिनांक 10 मार्च 2019 से लागू हो चुकी है, जो राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त केन्द्र एवं राज्य शासन पर भी समान रूप से लागू होगी। जिले में आज दिनांक से ही आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित किया जावे।

3/4

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
रीवा (म0प्र0)

रीवा दिनांक 10/03/2019

पृ.क्रमांक / 762 / 15 / निर्वा. / लो.स.चु. / 2019 /
प्रतिलिपि :-

1. पुलिस अधीक्षक, जिला रीवा।
2. अपर कलेक्टर जिला रीवा।
3. अनुविभागीय अधिकारी (समस्त) रीवा
4. तहसीलदार, (समस्त) रीवा
5. अध्यक्ष / सचिव.....जिला ईकाई रीवा।
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल)
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उप संचालक, जनसम्पर्क रीवा।

3/4
11/3/19

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
रीवा (म0प्र0)